न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–नेहा गिरि, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर

प्रकरण संख्या :– 17/2019 (आर0सी0एम0एस0 नं0 2018/00032)

व उनवानी प्रकरण :–

1. डोंगर सिहं पुत्र खुमान सिहं जाति ठाकुर निवासी गोपालपुरा थाना राजाखेडा जिला धौलपुर ——————————————————————प्रार्थी ।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रभारी अधिकारी (न्याय अनुभाग) जिला कलैक्ट्रेट धौलपुर राजस्थान ——————————————————————— अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/ नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1962

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से :– प्रार्थी स्वंय उपस्थित ।
2. अप्रार्थी की ओर से :– श्री दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)।

निर्णय दिनांक 16.8.2019

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 16/81 जो कि दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था, को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 9.12.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के आवेदन पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 197 दिनांक 6.1.2017 द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंसा की । जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस अन्तर्गत धारा 17 (3) आर्म्स एक्ट 1959 दिया गया जिसका जबाव प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.5.2017 को प्रस्तुत किया । उक्त जबाव की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को भिजवाई जाकर बिन्दु बार टिप्पणी एवं अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण बावत अनुशंसा चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपने पत्र कामंकः1659 दिनांक 14.6.2017 से प्रार्थी के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंषा की थी। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर

नेहा गिरि
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

आदेश कमांक 1999–2000 दिनांक 3.7.2017 के द्वारा प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 16/1981 को निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये थे।

उक्त आदेश दिनांक 3.7.2017 से व्यथित होकर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर में अपील दायर की। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 3.4.2019 के द्वारा प्रार्थी की अपील स्वीकार कर कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर के आदेश दिनांक 3.7.2017 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुए अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत व स्पीकिंग आदेश पारित करें ।

माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 3.4.2019 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर उभय पक्ष को तलब किया गया। प्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ तथा अप्रार्थी की ओर से श्री दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुए।

प्रकरण में अनुज्ञा पत्र बहाली के सम्बन्ध में पत्र कमांक 317 दिनांक 15.5.2019 एवं 413 दिनांक 19.6.2019 तथा 421 दिनांक 26.9.2019 से जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 2335 दिनांक 7.6.2019 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में थानाधिकारी थाना राजाखेडा मार्फत वृत्ताधिकारी वृत्त मनियॉ से जांच कराई गई। मुताविक रिपोर्ट प्रार्थी के खिलाफ प्रकरण संख्या 52/2003 धारा 341, 323, 336 आई पी सी थाना राजाखेडा पर पंजीबद्ध हुआ बाद तफतीश प्रार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 341, 323, 336 आईपीसी में पेश अदालत एम. जे. एम. राजाखेडा में किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 4.3.2006 को प्रकरण का फैसला हुआ जिसमें प्रार्थी को धारा 341 323 आईपीसी में बरूये राजीनाम बरी किया गया व धारा 336 आईपीसी में 50/– रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया । प्रार्थी के खिलाफ उक्त प्रकरण के अलावा कोई अन्य प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है और ना ही अन्य प्रकरण में वांछित है। प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाली की जॉच रिपोर्ट में दो गवाहों के बयान लेखबद्ध किये गये जिन्होनें अपने बयानों में प्रार्थी का चाल चलन व व्यवहार वर्तमान में अच्छा होना बताया तथा वर्ष 2003 के बाद अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना व राजनीति एवं अपराधों से कोई सम्बन्ध नहीं होना बताया है। प्रार्थी के सम्बन्ध में गुप्त रूप से भी चाल चलन व व्यवहार सम्बन्धी जॉच की गई तो प्रार्थी का वर्तमान में चाल चलन व व्यवहार अच्छा होना बताया है। प्रार्थी के अनुज्ञा पत्र को बहाल कर नवीनीकरण किया जावे तो मुकामी पुलिस को कोई एतराज नहीं है तथा वर्तमान में शस्त्र थाना पर जमा है। प्रार्थी के अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने की अनुशंसा की गई है।

सेहा गिरि
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा शस्त्र के भौतिक निरीक्षण एवं सत्यापन की रिपोर्ट नहीं किये जाने पर न्यायालय द्वारा पत्र कमांक 472 दिनांक 11.7.2019 द्वारा शस्त्र के निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.7.2019 के द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी का शस्त्र दिनांक 1.6.2017 से मालखाना में जमा है जिसको निकलवा कर शस्त्र का भौतिक निरीक्षण किया गया तो शस्त्र अनुज्ञापत्र हालत में पाया गया एवं बैरल को साफ किया गया तो साफ व सही हालत में पायी गई ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी ने अपने हथियार का कभी भी कोई दुरूपयोग नहीं किया है। प्रार्थी के विरूद्ध जो प्रकरण बताया गया है उसमें न्यायालय द्वारा बरी किया जा चुका है। प्रार्थी के विरूद्ध जो मुकदमा बतलाया गया है वह वर्ष 2003 का है जिसका निर्णय वर्ष 2006 में हो चुका है। वर्ष 2003 से वर्ष 2016 तक प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नियमित नवीनीकरण होता चला आ रहा है। अप्रार्थी ने निर्णय दिनांक 3.7.2017 जारी करने से पूर्व समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि केवल क्रिमिनल प्रकरणों में लिप्त होना लोक शान्ति व लोक सुरक्षा को इफैक्ट नहीं करते हैं। इसके आधार पर अनुज्ञा पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता। जिला पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 2335 दिनांक 7.6.2019 द्वारा भी प्रार्थी के आर्म्स अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने की अभिशंसा की है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रार्थी ने कभी हथियारों का दुरूपयोग कर लोक शान्ति भंग की है। अप्रार्थी ने आदेश दिनांक 3.7.2017 एक पक्षीय रूप से प्रार्थी को बिना सुनवाई एवं बिना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये पारित किया है। जो कानूनन गलत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 16/81 को बहाल किया जाकर नवीनीकरण किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान तर्क किया कि प्रार्थी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरूद्ध थाना राजाखेडा में वर्ष 2003 में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें प्रार्थी को बरी किया गया तथा एक धारा 336 में 50/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रार्थी एक झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है, जो कभी भी हथियार का दुरूपयोग कर लोक शान्ति भंग कर सकता है। ऐसे हालातों के मद्दे नजर लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है, जो कतही गलत नहीं है। आदेश दिनांक 3.7.2017 को कानून के दायरे में रहकर ही पारित किया गया है, जो पूर्णरूपेण न्यायसंगत है, जिसमें कतई किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी ने आदेश दिनांक 3.7.2017 पारित करने से पूर्व प्रार्थी को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है। जिला

चेहा गिरि
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

पुलिस अधीक्षक धौलपुर के अपनी रिपोर्ट में आर्म्स अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने की अनुशंसा की है। प्रार्थी के विरूद्ध जो मुकदमा होना अंकित किया है, वह वर्ष 2003 का हैं जिसका निर्णय वर्ष 2006 में हो चुका है। प्रार्थी का अनुज्ञा पत्र वर्ष 2003 से 2016 तक नवीनीकरण होता चला आ रहा है। वर्ष 2003 के बाद प्रार्थी के विरूद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। प्रार्थी का चाल चलन अच्छा बताया गया है। प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त/बहाल करने की प्रकिया में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की अहम भूमिका होती है। चूंकि वह जिले की लोक शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए उत्तरदायी अधिकारी है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट 7.6.2019 के द्वारा प्रार्थी के अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है। प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के बहाल/ नवीनीकरण नहीं किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प.1.(13)गृह–9/2006 दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5.2.4) में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन के निस्तारण बावत निर्देश दिये गये हैं कि **"तदन्तर अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्र धारी के आचरण बावत संतुष्टि की जाकर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करेगा।"** राज्य सरकार के परिपत्र की पालना में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल /नवीनीकरण किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 16/81 को बहाल /नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को दी जावे। पत्रावली फैसलशुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.8.2019 खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

नेहा गिरि
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)